

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या - 1475/2007/अजमेर.
2. अपील संख्या - 1476/2007/अजमेर.
3. अपील संख्या - 1477/2007/अजमेर.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, ब्यावर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स प्लास्टिक डेला फुटवियर, ब्यावर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री वी. श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित : :

श्री जमील जई,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री जे. एन. शर्मा, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/07/2017

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये तीनों अपीलों उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर, अजमेर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 01, 534/00-01 व 535/01-02/सी.एस.टी. में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 18.12.2006 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत, अजमेर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों क्रमशः 1997-98, 1998-99 व 1999-2000 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे 'केन्द्रीय अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 9 के तहत पारित किये गये पृथक-पृथक कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 22.02.2000; 23.11.2000 व 21.11.2001 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार किया है।

2. तीनों अपीलों के तथ्य एवं पक्षकार समान होने से तीनों प्रकरणों का निस्तारण संयुक्तादेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा वर्ष 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 की अवधि के दौरान प्लास्टिक फुटवियर का निर्माण कर उसका विक्रय अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में किया गया था जिस पर 4 प्रतिशत की दर से कर वसूल कर राजकोष में जमा करवाया गया था, परन्तु बाद में यह जानकारी होने पर कि सभी प्रकार के पी.वी.सी. के जूतों पर

लगातार.....2

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार कर मुक्ति प्रदान की हुई थी तब व्यवहारी द्वारा रिवाइज्ड रिटर्न प्रस्तुत करते हुए उक्त बिक्री को कर मुक्त बताया गया, परन्तु व्यवहारी द्वारा अपने ग्राहकों से कर वसूल किये जाने से संग्रहित कर को कर निर्धारण आदेशों में राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 की धारा 56(4) के तहत जब्त (Forfeit) कर दिया गया, जिसके विरुद्ध व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं, जिन्हें अपीलीय अधिकारी द्वारा स्वीकार कर यह निर्णय दिया गया कि माननीय राजस्थान कर बोर्ड अजमेर के निर्णय मैसर्स मधुसूदन इण्डस्ट्रीज निम्बाहेड़ा बनाम सहायक आयुक्त, विशेष वृत्त-भीलवाड़ा निर्णय दिनांक 19.12.2003 एवं अन्य अपील संख्या 1471/2000 में यह निर्णय लिया गया है कि केन्द्रीय अधिनियम के तहत एकत्रित कर को जब्त नहीं किया जा सकता एवं कर निर्धारण अधिकारी को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर यह निर्देश दिये गये कि अपीलकर्ता द्वारा जो कर क्रेताओं से वसूल किया गया है, उन क्रेताओं को नियमानुसार रिफण्ड जारी करें। उक्त अपीलीय आदेश से व्यथित होकर राजस्व की ओर से यह अपीलें प्रस्तुत की गई हैं।

4. अपीलार्थी राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय आदेश इस आधार पर अविधिक है कि प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर संग्रहित किया गया है उसके रिफण्ड के लिये व्यवहारी का कोई क्लेम नहीं हो सकता क्योंकि कर जमा कराने का भार उनके ग्राहकों द्वारा वहन किया गया है, अतः रिफण्ड का प्रार्थना पत्र प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपील के समय बताये गये क्रेता व्यवसायी बाटा इण्डिया लिमिटेड के द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है, अतः अपीलीय आदेश अविधिक है।

5. प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि अपीलीय अधिकारी का आदेश विधिसम्मत है क्योंकि उन्होंने रिफण्ड जारी करने के आदेश क्रेता व्यवहारियों के पक्ष में ही किये हैं। अतः प्रस्तुत अपीलें खारिज की जावें।

6. उभयपक्ष की बहस सुनी गई एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया।

7. उक्त प्रकरण में व्यवहारी द्वारा उनके एक मात्र ग्राहक बाटा इण्डिया लिमिटेड को प्लास्टिक फुटवियर का विक्रय किया गया था जो कि राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.4(69)एफडी/टैक्स/95-33 दिनांक 15.03.1996 के तहत कर मुक्त किये हुए थे जिस पर कर का संग्रहण क्रेताओं से किया जाना विधि के अनुकूल नहीं था, परन्तु प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा गलती से कर संग्रहित

कर लिया गया था, उक्त राशि का रिफण्ड चाहा गया था। अधिनियम 1994 की धारा 56(4) के अनुसार रिफण्ड का क्लेम केवल वे ही व्यक्ति कर सकते हैं जिनके द्वारा उसका भार वहन किया गया है। अधिनियम 1994 की धारा 56(4) निम्न प्रकार है -

Section 56. Refund-


(4) Notwithstanding anything contained in this section or in any other law for the time being in force, a refund can be claimed only by the dealer or the person, **who has actually suffered the incidence of tax** and the burden of proving the incidence of tax so suffered shall be on the dealer or the person claiming the refund.


8. इस प्रकरण में व्यवहारी द्वारा भी यह आपत्ति नहीं की गई है कि कर अदा करने का भार उनके क्रेता द्वारा वहन नहीं किया गया है एवं व्यवहारी द्वारा भूल से कर संग्रहित किया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी का निर्णय विधिसम्मत है कि कर निर्धारण अधिकारी कर राशि को नियमानुसार जांच कर क्रेताओं को लौटाये, न कि प्रत्यर्थी विक्रेता व्यवसायी को।

9. फलतः अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं कर निर्धारण अधिकारी को निर्देश दिये जाते हैं कि वे बाटा इण्डिया लिमिटेड को संग्रहित राशि लौटाये जाने के निर्देश की पालना करें, परन्तु यदि उक्त धारा 56(4) के अनुसार कर का भार बाटा इण्डिया लिमिटेड द्वारा पुनः आगे अपने ग्राहकों से वसूल कर लिया हो तो उस स्थिति में रिफण्ड उस व्यक्ति को दिया जाये जिसने अन्तिम रूप से (Who has actually suffered the incidence of tax) कर का भार वहन किया है।

10. फलतः उक्त निर्देशों के साथ अपीलीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है एवं राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

11. निर्णय सुनाया गया।


(क. एल.जैन)
सदस्य


(वी. श्रीनिवास)
अध्यक्ष